

कार्यालय वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत
पत्रांक 114-1 , पीलीभीत, दिनांक- 31/01/2023
(बनकटी रोड, पीलीभीत- 262001)

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय-

कार्यो परान्त स्वीकृत (Ex-post Facto) हेतु जनपद पीलीभीत क अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कार्पो० लि० द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग संख्या-62 पी०ए० के चैनेज 14.348 से 14.381 वॉयी पटरी पर ग्राम-चरखौला तहसील-बीसलपुर जिला-पीलीभीत में स्थित खसरा/गाटा संख्या-568 में रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु संरक्षित वनभूमि 0.114123 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ-

भारत सरकार का पत्रांक-8वी/यू०पी०/06/267/2022/एफ०सी०/724 दिनांक- 30.11.2022 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक-1928/11-सी FP/UP/Others/31275/2018 Date 06.12.2022 तथा प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, पीलीभीत के कार्यालय का पत्रांक 2344/15-1 दिनांक- 24.01.2023

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सानुरोध अवगत कराना है कि भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक- 30.11.2022 के द्वारा विषयक प्रकरण में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, पीलीभीत द्वारा अपने कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा निम्न प्रकार कर दिया गया है।

अतः निराकरण के उपरान्त अनुपालन आख्या/अभिलेख आपके कार्यालय के पत्रांक 2501/11-सी दिनांक- 24.11.2016 द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में निम्न प्रकार अनुपालन आख्या/अभिलेख 03 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

Sl. no.	Observations	Compliance
1	Reviscd kml. File of area proposed for CA needs to be uploaded on Parivesh Portal.	प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु संशोधित के०एम०एल० फाइल परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है तथा के०एम०एल० फाइल की 03 प्रतियाँ (पेनड्राइव में) संलग्न कर प्रेषित है।
2	No clarification or correction has made in part-ii of the proposal since the proposal is for Ex-post facto approval therefore details of violation should be mentioned therein.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किये गये उल्लंघन का विवरण भाग-2 में अंकित कर दिया गया है।
3	The order of Field Director Pilibhit Tiger Reserve, states that the said retail outlet was established after District Magistrate Pilibhit issued NOC. Thus it appears that the said violation has been committed on the orders of the concerned Distirict Magistrate. This needs to be reascertained for initating action under 3A and 3B of FCA Act (1980).	वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत एवं जिलाधिकारी पीलीभीत द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु कोई अनापत्ति निर्गत नहीं की गयी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति लिये/ उल्लंघन किये जाने पर रेंज केस संख्या-19/2017-18/बीसलपुर दिनांक-18.03.2018 द्वारा जारी किया गया तथा ई-3 संख्या-12/3502 दिनांक- 24.01.2019 द्वारा रू०-20000.00 प्रति कर के रूप में जमा कर दिनांक-25.01.2019 को केस प्रशमित किया गया तथा प्रकरण में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख/अन्य अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रभारी वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,
पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत।

पत्रांक 1398 /अ-दिनांकित।

प्रतिलिपि- वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, बरेली वृत्त बरेली को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव को वृत्त स्तर से ऑनलाइन करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, पीलीभीत को उनके कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव को वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, बरेली वृत्त बरेली के कार्यालय से ऑनलाइन कराते हुए प्रस्ताव की 03 प्रतियों मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय में विशेष पत्रवाहक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- यथोपरि।

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

प्रभारी वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,

पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत।